



सत्यमेव जयते

# खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग

KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार  
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES, GOVT. OF INDIA

राज्य कार्यालय, पो० बी.वी. कॉलेज, शेखपुरा, पटना-14  
STATE OFFICE, PO: B.V.COLLEGE, SHEIKHPURA, PATNA-14.

दूरभाष (Tel.) : 2228010 & 2224983 वेब (Web) : www.kvic.org.in

फैक्स (Fax) 0612-2228010 ई-मेल (E-mail) : kvicpatna@gmail.com



सत्यमेव जयते  
सत्यमेव जयते

DDI(SNR)

पत्रांक :- डीबी / पीएमईजीपी / ईडीपी / 2016-17 /

दिनांक 04.04.2017

सेवा में,

सहायक महाप्रबंधक,

संख्य स्तरीय बैंकर्स समिति,

भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय

5वीं मजिल, पश्चिम गॉंधी मैदान, पटना।

अति आवश्यक

विषय:- वर्ष 2017-18 हेतु ऋण की किस्त जारी करने के लिए ईडीपी प्रमाणपत्र की अनिवार्यता के संबंध में।

संदर्भ:- निदेशक (पीएमईजीपी), मुंबई के पत्र सं०-पीएमईजीपी / ईडीपी / नीति / 2017-18 दि०: 03.04.2017

महोदय,

निदेशक (पीएमईजीपी), खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई से प्राप्त एवं इसके साथ संलग्न पत्र का अवलोकन करें, जो पीएमईजीपी योजना के तहत वर्ष 2017-18 में ऋण की किस्त जारी करने हेतु ईडीपी प्रमाणपत्र की अनिवार्यता से संबंधित है। इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 24.02.2017 द्वारा दिनांक 31.03.2017 तक ईडीपी प्रमाणपत्र संबंधी छूट दी गई थी।

वर्तमान में, प्रथम ऋण किस्त जारी करने से पूर्व पीएमईजीपी योजना के दिशानिर्देश अनुसार ईडीपी प्रमाणपत्र की अनिवार्यता जारी रहेगी। साथ ही, दिनांक 31.03.2017 तक जिन आवेदनों की मार्जिन मनी (अनुदान) कार्पोरेशन बैंक पोर्टल पर बिना ईडीपी प्रमाणपत्र के अपलोड की गई है, उन आवेदनों हेतु ईडीपी प्रशिक्षण 31 अप्रैल, 2017 से पूर्व करवाना अनिवार्य है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रथम ऋण की किस्त जारी करने के बाद पीएमईजीपी ऑनलाईन प्रणाली में ईडीपी प्रमाणपत्र के साथ मार्जिन मनी क्लेम अपलोड करने संबंधी जानकारी सभी संबंधितों को देने का कष्ट करेंगे ताकि पीएमईजीपी योजना संबंधी दिशा निर्देशों का अनुपालन अक्षरशः हो सके।

संलग्न :- यथोपरि।

भवदीय,

राज्य निदेशक

प्रतिलिपि:

1. निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी बोर्ड, पटना
3. सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र
4. सभी आंचलिक बैंक प्रबंधक, पटना बिहार
5. सभी जिला प्रबंधक, अग्रणी बैंक

2202/DT  
11/4/17

श्री साबेश जी-  
11.4.2017

270/2017(SNR)  
11/4/17

599/P.3  
12.4.17

317

बिहार सरकार  
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

ज्ञापक 1131


पटना, दिनांक 21.4.17

स0स0-03/उ0नि0/PMEGP (लक्ष्य)-01/2016

प्रतिलिपि :- महाप्रबंधक सभी जिला उद्योग केन्द्र, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0टी0 प्रबंधक उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु0:- यथाउपरोक्त।

  
उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।

FROM : DIRECTOR (PMEGP), KVIC, MUMBAI  
 TO: ALL STATE/DIVISIONAL DIRECTORS, KVIC.  
 Copy to: 1. DY.CEO (PMEGP), KVIC, MUMBAI.  
 2. All ZONAL DY.CEOs.

SUB: EDP CERTIFICATE IS MANDATORY FOR RELEASE OF LOAN INSTALLMENTS INCLUDING NER STATES FOR THE YEAR 2017-18.

THIS IS IN REFERENCE TO THIS OFFICE CIRCULAR DTD. 20.02.2017. IT IS TO INFORM THAT AS PER THE DIRECTIVES OF MINISTRY OF MSME, EDP TRAINING FOR SUBMISSION OF PMEGP CLAIMS WAS RELAXED TILL 31<sup>ST</sup> MARCH 2017 INCLUDING NORTH EASTERN STATES. IT IS ALSO TO INFORM THAT AS PER CIRCULAR DTD. 20.02.2017, COMPLETION OF EDP WITHIN ONE MONTH OF DISBURSEMENT OF FIRST INSTALLMENT RELEASED. CERTIFICATE IS NECESSARY ALTHOUGH EDP WAS EXEMPTED UPTO 31<sup>ST</sup> MARCH 2017.

NOW, IT IS TO INFORM THAT, EDP TRAINING PROGRAMME IS MANDATORY AS PER PMEGP SCHEME GUIDELINES BEFORE RELEASE OF FIRST LOAN INSTALLMENT. HENCE, PMEGP MM CLAIMS AFTER RELEASE OF FIRST LOAN INSTALLMENT CAN BE UPLOADED ALONG WITH EDP CERTIFICATE ON PMEGP ONLINE SYSTEM.

IT IS THEREFORE REQUESTED TO INFORM THE IMPLEMENTING AGENCIES AND FINANCING BANKS THAT EDP IS MANDATORY WHILE UPLOADING MARGIN MONEY CLAIMS ONLINE.

  
 DIRECTOR (PMEGP)

No. PMEGP/ EDP /Policy/2017-18

Date: 03.04.2017.